न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री मुनिदेव यादव, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 31/16 (223 आर. टी. एक्ट)

आर0सी0एम0एस0 संख्या :– 2016/00032

उनवान

1. पूरन दत्तक पुत्र जवाली, जाति ब्राहम्ण निवासी छौंकरवाडा कलॉ तहसील वैर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्यामलाल (मृतक)
   - 1/1. बाबूलाल
   - 1/2. पप्पू
   - 1/3. बवला
   - 1/4. प्रेम पत्नी

   (पुत्रगण) स्व0 श्यामलाल, जाति जाट नि0 छौंकर वाडा कला तहसील भुसावर जिला भरतपुर।
2. बुद्धी
3. गोविन्द
4. बच्चू

पुत्रगण रूकम सिंह जाति जाट नि0 छौंकरवाडा कला तहसील भुसावर, भरतपुर।

..... रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राज0 काश्त0 अधि0 1955 विरूद्ध आदेश न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, भुसावर दिनांक 19.05.2016 उनवानी पूरन बनाम श्यामलाल मु0न0 172/09

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलांट श्री दुलीचन्द शर्मा उपस्थित।
2. वकील रैस्पो0 श्री पंकज कुमार उपस्थित।

निर्णय

दिनांक :– 04.10.2023

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के आदेश दिनांक 19.05.2016 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में वादी/अपीलाण्ट ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्ध प्रतिवादी/रैस्पो0 इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

में अंकित विवादित आराजी खसरा नम्बर 771 रकवा 9 विस्वा वाके ग्राम छौंकरवाडा तहसील भुसावर में स्थित है, जिसके वादी/अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार हैं। परन्तु प्रतिवादी/रैस्पो0 लट्ठ के बल पर विवादित आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। तत्पश्चात् बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए, तर्क दिये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश खिलाफ कानून व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण, काबिल खारिजी है। यह है कि अपीलाण्ट विवादित आराजी का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार व काबिज होकर हर साल काश्त करता चला आ रहा है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। अपीलाण्ट ने रैस्पो0 के पिता को कभी भी कोई रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड विक्रय पत्र संवत 2018 में नहीं किया एवं ना ही कब्जा दिया एवं ना ही ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ही अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है। इसके बाबजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने किसी अनरजिस्टर्ड वयनामा का हवाला देते हुये दावा वादी अपीलाण्ट खारिज करने में भूल की है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य पर ना तो गौर किया एवं ना ही अपीलाधीन आदेश में उनका विवेचन किया। इसके अलावा उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.05.2016 का है एवं आदेशिका दिनांक 20.05.2016 की अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश सुनाने से पहले ही आदेश को लिख रखा था। अपीलाधीन आदेश बोलता हुआ आदेश भी नहीं है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जवाबी बहस मे तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप हैं। धारा 188 के दावे में कब्जा सिद्ध करना होता है। अपीलाण्ट ने विवादित आराजी पर अपना कब्जा सिद्ध नहीं किया है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा काश्त है। विवादित आराजी बाबत् कब्जे को लेकर पक्षकारान के मध्य फौजदारी प्रकरण चला है। जिसमें न्यायालय ने रैस्पो0 का कब्जा काश्त माना है। विवादित आराजी अपीलाण्ट के पूर्वजो द्वारा रैस्पो0 के पूर्वजो को जरिये वयनामा विक्रय की थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप योग्य कोई गुंजाईश शेष नहीं रहती है। अंत मे अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। हम पाते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अति सूक्ष्म एवं बोलता हुआ आदेश नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व दस्तावेज अनुसार वादी का वाद प्रस्तुत करने की दिनांक को खातेदार की हैसियत से मौके पर कब्जा काश्त सिद्ध नहीं है। परन्तु उनके द्वारा उक्त तथ्य बाबत् कौनसा पंजीकृत दस्तावेज देखा गया एवं उसका

भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

दावे में क्या महत्व है, का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया है। इस प्रकार का निर्णय चाहे कितने ही परीक्षण अन्वेषण एवं मानसिक परिश्रम उपरान्त लिखा गया हो, यह आभास कराता है कि निर्णय करते समय न्यायिक विवेक का उपयोग नही हुआ है। न्याय होना ही पर्याप्त नही, होते हुए दिखना भी चाहिए। अतः इस प्रकार के निर्णय स्वीकार्य नही हो सकता है। इसके अलावा प्रकरण में पेशी दिनांक 14.12.2015 को अग्रिम पेशी दिनांक 20.01.2016 नियत की गयी थी। लेकिन अपीलाधीन आदेश उक्त तारीख पेशी से चार माह बाद, पूर्व से नियत तारीख पेशी का ना होकर दिनांक 20.05.2016 को अटल सेवा केन्द्र छौंकरवाडा में तारीख पेशी से गिरकर अंकित किया जाकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उक्त तारीख पेशी बाबत् पक्षकारान को सूचना दी गयी हो, ऐसा भी कोई सम्मन पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। हम अभिभाषक अपीलाण्ट की उक्त आपत्ति को भी अनदेखा नहीं कर सकते कि आदेशिका में निर्णय दिनांक 20.05.2016 को होना अंकित किया है जबकि निर्णय में तारीख दिनांक 19.05.2016 अंकित की गयी है। इसके अलावा प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा डिक्री तो बनायी गयी है परन्तु डिक्री पर हस्ताक्षर नहीं है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित करते समय प्रक्रियात्मक चूक की है। लिहाजा हम प्रकरण को पुनः विधिवत विचारण हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझतें हैं। अतः अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार किये जाने योग्य है।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के निर्णय दिनांक 19.05.2016 अपास्त किये जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को उपरोक्त तथ्यो की पृष्ठभूमि में पुनः उभयपक्ष को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये एवं न्यायालय अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, वैर के आदेश दिनांक 02.08.2018 को ध्यान में रखते हुये एवं यथासम्भव विवादित आराजी पर कब्जे बाबत् साक्ष्य/रिपोर्ट लेते हुये, विधिवत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है। उभयपक्षकारान को भी निदेशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 31.10.2023 को वास्ते सुनवाई उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें, बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 04.10.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)